

**स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश**

संख्या-6/एफ1-308/18 श्र0सं0- 148
बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर ।

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0103-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड- 26-2230017890103) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

पटना, दिनांक:- 15-2-19

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3373 दिनांक-14.05.18 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 में 31 मार्च 2019 तक व्यय के निमित्त " बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना-अन्तर्गत" अनुदान की राशि रु. 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

क्र. सं.	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	विषयशीर्ष	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)
1	2	3	4	5	6
1.	समस्तीपुर	04	0103.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	400000 /-- (चार लाख)	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के ज्ञापांक-119 दि.-15.02.19 के आलोक में (1) स्व. दीपक कुमार पासवान पिता श्री संजय पासवान आश्रित श्रीमती ललिता देवी(माता) ग्रा.+पो.-भटौरा, थाना-हथौड़ी, प्रखंड-शिवाजीनगर, जिला-समस्तीपुर (2) स्व. विपत पासवान पिता श्री नेमो पासवान आश्रित श्रीमती मीना देवी(माता) ग्रा.+पो.-भटौरा, थाना-हथौड़ी, प्रखंड-शिवाजीनगर, जिला-समस्तीपुर (3) स्व. नन्दन पासवान पिता कैलाश पासवान आश्रित श्रीमती निरो देवी(माता) ग्रा.+पो.-भटौरा, थाना-हथौड़ी, प्रखंड-शिवाजीनगर, जिला-समस्तीपुर (4) स्व. राम कुमार पासवान पिता श्रीकान्त पासवान आश्रित श्रीमती अशिया देवी(माता) ग्रा.+पो.-भटौरा, थाना-हथौड़ी, प्रखंड-शिवाजीनगर, जिला-समस्तीपुर के भुगतान हेतु।
	कुल	04		400000 /--	

कुल आवंटित राशि ₹ 4,00,000 /-- (₹ चार लाख) मात्र ।

- अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत नियमानुसार जाँच पड़ताल कर उन्हीं मृत/आंशिक अपंग/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभाहित नहीं किया गया हो। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फैंक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।
- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि0 दिनांक-28.03.18, 3244/वि. दिनांक-4.5.18 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।

6. विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.7.16 के आलोक में लाभुकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
7. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक-6903 दिनांक-13.09.18 के आलोक में CFMS Software से निर्गत न कर मैनुअली निर्गत किया जा रहा है।
8. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।

विश्वासभाजन
15/2/19
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-308/18 श्र0सं0-

148

पटना, दिनांक

15-2-19

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/2/19
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-308/18 श्र0सं0-

148

पटना, दिनांक-

15-2-19

* स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना// संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित कोषागार/ उप कोषागार, पदाधिकारी/ संबंधित उप श्रमायुक्त/ संबंधित श्रम अधीक्षक/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/ संयुक्त श्रमायुक्त एवं प्रशाखा-01 को उनके गै.सं.प्रे.सं.-68 (श्रम पक्ष) दिनांक-15.02.19 के आलोक में/ आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ प्रशाखा-6, बजट शाखा (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा प्रशाखा-01 (श्रमपक्ष) द्वारा किया जायेगा।

15/2/19
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।